केग पंजीकरण

एक पैकेज स्टोर कर्मचारी को केग की बिक्री के समय
(1) केग बुक से एक पहचान टैग निकालकर सभी केगों पर लगाना होगा,
(2) केग खरीदने पर मिलने वाली रसीद पर हर खरीदार से हस्ताक्षर करवाना होगा और (3) खरीदार को सूचित करना होगा कि अगर उन्होंने केग को उसके मूल पहचान टैग के साथ छेड़खानी कर के लौटाया है तो भुगतान की गई कोई भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। केग संबंधी पुस्तिका विभाग में उपलब्ध है। परमिट धारक को ऐसी सभी रसीदों की एक कॉपी छह महीने की अवधि के लिए परमिट परिसर में रखना होगा और विभाग या कानून प्रवर्तन द्वारा होने वाले निरीक्षण और हवाले के लिए उपलब्ध रहना होगा। जमा राशि की जानकारी हर एक खरीदार को मौखिक रूप से दी जा सकती है या फिर बिक्री के समय साफ तौर पर लिखे साइन बोर्ड (कम से कम छह से नौ इंच बड़ा) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है।

साइन बोर्ड पर निम्नलिखित बात लिखी होनी चाहिए:
अगर खरीदार ने केग को उसके मूल पहचान टैग के साथ कोई छेड़खानी कर के लौटाया है, तो ज़रूरत पड़ने पर केग के लिए भुगतान की गई कोई भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी

यदि लौटाए गए केग पर जरूरी पहचान टैग की नहीं है या फिर पहचान टैग को इस हद तक खराब कर दिया गया है कि उस पर लिखी जानकारी पढ़ी नहीं जा सकती तो आपको जमा राशि वापस नहीं करनी चाहिए।

शराब का परमिट स्थानांतरणीय *नहीं* है

मालिकाना हक या स्टॉक के स्थानांतरण से जुड़े किसी भी तरह के परिवर्तन की जानकारी पहले ही विभाग को दी जानी चाहिए। कारोबार को बेचने या स्थानांतरित करने पर आपका शराब परमिट रद्द कर दिया जाएगा। नए कारोबारियों को किसी भी तरह की शराब बेचने से पहले अपने परमिट के लिए आवेदन करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा।

अन्य परमिट

पैकेज स्टोर का परमिट धारक ("बैकर") परिसर के बाहर केटरिंग करने का परमिट रख सकता है। एक अकेला बैकर 6 अलग-अलग पैकेज स्टोर के परमिट रख सकता है।

दान

वाइन दान करने, या अपने स्टोर के बाहर शराब चखने के काम को केवल चैरिटी के उद्देश्य करने की अनुमति है। दान लेने वाले समूह के पास एक अस्थायी शराब परमिट होना चाहिए, और आपको eLicense पर Donation Portal (दान पोर्टल) के माध्यम से दान के लिए अनुरोध करना होगा।

आपका eLICENSE खाता

विभाग द्वारा दिए गए यूज़रनेम से अपना eLicense खाता बनाएं। आप अपने eLicense खाते का इस्तेमाल परमिट के नवीकरण के लिए, उसे रद्द करने के लिए, अपनी संपर्क संबंधी जानकारी को अपडेट करने के लिए, फॉर्म जमा करने के लिए और साथ ही अपने परमिट में कोई बदलाव करने के लिए कर सकते हैं।
www.elicense.ct.gov

अपडेटेड जानकारी रखें

विभाग के साथ संपर्क संबंधी जानकारी को अपडेटेड रखने के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसमें ईमेल पता और टेलीफोन नंबर जैसी जानकारी शामिल है। विभाग आपको सूचना देगा, आपके परमिट भेजेगा, और ईमेल के जरिए आपको नवीकरण कराने के लिए याद दिलाएगा।

अगर पैकेज स्टोर के परमिट से जुड़े कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमें यहां कॉल करें:

जांच/शिकायतें	(860) 713-6210
नए आवेदन और नवीकरण	(860) 713-6200
स्टॉक या ब्याज का स्थानांतरण	(860) 713-6210
केग पंजीकरण की किताब	(860) 713-6000

यह पैम्फलेट केवल एक छोटी सी संदर्भ मार्गदर्शिका है।

अपने पैकेज स्टोर परमिट की पूरी जानकारी के लिए, Connecticut General Statutes (कनेक्टिकट सामान्य क़ानून) और Connecticut State Regulations (कनेक्टिकट राज्य विनियम) के टाइटिल 30 को देखें।

Rev. 5/2022

कनेक्टिकट राज्य
DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION
(उपभोक्ता संरक्षण विभाग)
LIQUOR CONTROL DIVISION (शराब नियंत्रण विभाग)
450 Columbus Blvd, Suite 901
Hartford, CT. 06103
वेबसाइट: http://www.ct.gov/dcp/liquorcontrol

पैकेज स्टोर परमिट

छोटी संदर्भ मार्गदर्शिका

हमारा उद्देश्य:
अपने परमिट धारकों को सूचित करना और शराब की सुरक्षित बिक्री को बढ़ावा देना।

Ned Lamont
राज्यपाल

Michelle H. Seagull
कमिश्नर

M. Caitlin S. Anderson
निदेशक

वेबसाइट: http://www.ct.gov/dcp/liquorcontrol
ईमेल: dcp.liquorcontrol@ct.gov
फ़ैक्स: (860) 706-1208

<u>पैकेज स्टोर परमिट के लिए बिक्री का वैध समय: **</u>

सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से
रात 10 बजे तक
रविवार
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक

<u>इन दिनों बिक्री की अनुमति नहीं है:</u>

थैंक्सगिविंग डे क्रिसमस डे
पहली जनवरी
(अगर क्रिसमस या नया साल रविवार के दिन पड़ता है तो उसके अगले दिन सोमवार को शराब बेची जा सकती है।)

स्थानीय शहर और नगर के नियम अधिक प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं

परमिट परिभाषा Connecticut General Statutes देखें Statutes § 30-20(a)

<u>परमिट से जुड़ी शर्तें</u>

वार्षिक नवीकरण आपका परमिट हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए ईमेल पते पर एक रिमाइंडर ईमेल भेजा जाएगा। आपके परमिट पर समाप्ति तिथि भी छपी होती है।

परमिट रिकॉर्ड करना आपका नया परमिट हर साल टाउन क्लर्क के कार्यालय में दाखिल किया जाना चाहिए। क्लर्क मूल परमिट पर मुहर लगाएगा और एक कॉपी फाइल में रखेगा। परमिट तब तक वैध नहीं माना जाता जब तक उस पर मुहर नहीं लग जाती।

परमिट को फ़्रेम करना में आपके शराब का परमिट सुरक्षित रूप से एक **और खुले** फ्रेम में रखा जाना चाहिए और स्टोर के अंदर **लटकाना** टंगा होना चाहिए जहाँ से जनता उसे देख सके।

परमिट धारक के हस्ताक्षर परमिट धारक का नाम उस चिन्ह पर लिखा होना चाहिए जो परिसर के मुख्य दरवाज़े के बगल में टंगा हो और फुटपाथ या सड़क से दिखाई देता हो।
उदाहरण के लिए: Michael Brooks
परमिट धारक

वितरण किसी भी परमिट धारक को तब तक शराब नहीं मिलेगी जब तक कि माल मिलने पर दुकान का मालिक दुकान के नाम, परमिट धारक के नाम और कर्मचारी के हस्ताक्षर या उसके नाम की जानकारी वाले बिल पर हस्ताक्षर नहीं करता है। एक रबर स्टाम्प लगाने की अनुमति है।

रबर स्टाम्प के उदाहरण:

द्वारा प्राप्त
Main Street Liquors Michael
Brooks, परमिट धारक
तिथि: _______________
द्वारा: _______________

शराब के बिल दुकान पर शराब के बिल का 2 साल का रिकॉर्ड रखना होगा। बिल को कहीं और रखने के अनुरोध पर लिखित अनुमति दी जा सकती है।

मादक पेय की कीमतें सभी मादक पेय पदार्थों की कीमतें आइटम के ऊपर या उसके पास लिखी होनी चाहिए। *सभी* की एक सूची
सभी मादक पेय पदार्थों की कीमतें आइटम के ऊपर या उसके पास लिखी होनी चाहिए।

डिस्काउंट वाले आइटम पैकेज स्टोर का परमिट धारक, हर महीने किसी एक मादक पेय को उसके मूल्य से कम दाम पर बेच सकता है, बशर्ते उस आइटम पर 10% से ज्यादा की छूट न दी गई हो। किसी उत्पाद को पंजीकृत करने के लिए, इस वेबसाइट पर एक खाता बनाएँ: https://www.biznet.ct.gov/DCP_LiquorControl_Retailers

आयु विवरण फ़ॉर्म एक कर्मचारी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसकी उम्र उसके आयु विवरण फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त हो। इस फ़ॉर्म का इस्तेमाल केवल दिखाए गए पहचान पत्र के साथ होता है। भरे हुए आयु विवरण फ़ॉर्म को स्टोर पर रखना चाहिए।

निषिद्ध बिक्री नाबालिगों को बिक्री। (21 वर्ष से कम की आयु)
नशे में धुत व्यक्ति को बिक्री।
निर्धारित वैध समय के पहले या बाद में बिक्री।
दूसरे शराब परमिट धारक को बिक्री।

*****ध्यान दें: यदि आपको शक है कि खरीदार नाबालिग है या नशे में है तो आप बिक्री से इनकार कर सकते हैं। *****

कर्मचारी कम से कम अट्ठारह (18) साल का होना चाहिए।

<u>शराब चखना</u>

शराब चखने के अलावा पैकेज स्टोर के परिसर में किसी भी तरह के शराब का सेवन नहीं किया जाएगा। जब तक स्टोर खुला रहता है तब तक शराब चखने की अनुमति है। Connecticut Regulations § 30-6-B21a देखें। नाबालिग या नशे में धुत व्यक्ति को चखने न दें।

खुले बिक्री की अनुमति वाले उत्पाद बिना ढक्कन वाली केवल 10 वाइन की बोतलों को एक बार में खोलने की अनुमति है।
डिस्टिल्ड स्पिरिट और/या बियर की केवल 4 बिना ढक्कन वाली बोतलों या कैन को एक बार में खोलने की अनुमति है।

शराब चखने की मात्रा	कॉर्डियल्स और शराब	1/2 ऑउंस
	वाइन	1 ऑउंस
	बीयर	2 ऑउंस

कक्षाएं सामान्य कामकाजी घंटो के दौरान स्टोर पर शुल्क-आधारित वाइन संबंधी शिक्षा और शराब चखने की कला से जुड़ी कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।

<u>दूसरे आइटम बेचने की अनुमति</u>

सिगरेट और सिगार (कोई ई-सिगरेट नहीं), किताबें, बार संबंधी बर्तन (जैसे कि कॉर्कस्क्रू, स्ट्रेनर, स्टिरर और मिलते जुलते आइटम), किसी निर्माता या राज्य के बाहर के शिपर द्वारा लाया गया मूल्य वर्धित उपहार पैकेज, गैर-मादक पेय, मिश्रित मादक पेय बनाते समय इस्तेमाल में आने वाले ताजे फल, पनीर, नमकीन बिस्कुट, जैतून, बीयर और शराब बनाने की किट में इस्तेमाल होने वाला घोल, बर्फ (किसी भी रूप में), कपड़े जिन पर शराब उद्योग से संबंधित विज्ञापन छपे होते हैं, शराब मिली हुई मिठाई या टॉफ़ी, अल्कोहल युक्त पॉड्स और पॉड्स निकालने वाली मशीन, केवल शराब और ऊपर बताई गई वस्तुओं के कंटेनर वाले गिफ्ट बास्केट और लॉटरी टिकट।

<u>शिपिंग और डिलीवरी</u>

आप अपने स्टोर पर बेचे गए आइटम को सीधे कनेक्टिकट में ग्राहकों को डिलीवर कर सकते हैं। यदि दूसरा राज्य अनुमति देता है तो एक परमिट धारक कनेक्टिकट के बाहर के उपभोक्ताओं को भी सीधे सामान भेज सकता है।

<u>शराब केवल अधिकृत थोक विक्रेता से ही खरीदी जा सकती है</u>

आप केवल Liquor Control Division से लाइसेंस प्राप्त अधिकृत थोक विक्रेता से ही शराब खरीद सकते हैं।

<u>एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही बीयर खरीदी जानी चाहिए</u>

सभी थोक विक्रेताओं का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें उन्हें बीयर के कुछ ब्रांड बेचने की अनुमति होती है। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही वितरक से खरीदारी कर रहे हैं।